न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 50/2023   निर्णय दिनांकः 16.04.2024
ऑनलाईन नंबरः 2023/96

1. महावीर पुत्र आदराम जाति जाट 2. सांवरमल पुत्र केहरसिंह जाति जाट 3. रामीदेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 4. उर्मिला पुत्री स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 5. सुमित्रा पुत्री स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 6. पुष्पा पुत्री स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 7. विरजू पुत्री स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 8. रणजीत पुत्र स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 9. राकेश पुत्र स्व. स्व. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जाट 10. पूरा देवी पुत्री दुलाराम जाति जाट 11. शंकरलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट 12. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति जाट 13. कमलादेवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति सिद्ध 14. कृष्ण पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति सिद्ध 15. राजेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति सिद्ध 16. जीवराजसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित 17. ताराचन्द पुत्र मालाराम जाति माली 18. नन्दलाल पुत्र मालाराम जाति माली 19. महादेवप्रसाद पुत्र. मालाराम जाति माली	निवासीगण आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित, साजिद खान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 सपठित धारा 131 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 तादादी 2.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 तादादी 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 तादादी 0.0100 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 29 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 तादादी 5.0900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 918/23 [illegible] 0.8300 हैक्टेयर [illegible]रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खसरान [illegible] प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त खसरा भूमि [illegible] तथा उसके बाद खसरा नम्बर 5/1 कायम रहे है। प्रार्थीगण के [illegible] से 30 व खसरा नम्बर [illegible]/23 मौका पर एकल है जो पुराने खसरा नम्बर 5 के ही भाग [illegible]। पुराने खसरा नम्बर [illegible]तर में खसरा नम्बर 4 पुराना स्थित रहा है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 845/20 व 21,22 कायम हुए है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों के उतरी तरफ स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 21 से होता हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:06 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

एक सदियों से कटाणी मार्ग प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 25 के मध्य से गुजरता हुआ दक्षिणी पूर्वी कोना में प्रवेश करते हुए दक्षिणी तरफ स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 40 में प्रवेश करता है। उक्त गै.मु.रास्ता का अंकन प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 25 में भी अंकन है। उक्त गै. मु. रास्ता पर वर्तमान में ग्रेवल सड़क भी बन चुकी है। प्रार्थीगण के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 25 के मध्य में से गै.मु. रास्ता गुजरता है जो खसरा नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होते हुए दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नम्बर 40 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 25 में से गुजरने वाले इस रास्ता से पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 25 की 7 बीघा भूमि नाप जोख के हिसाब से होती है परन्तु राजस्व अमला द्वारा वर्तमान में बिलकुल ही गलत रूप से उक्त गैरमुमकिन रास्ता को खसरा नम्बर 21 से होता हुआ खसरा नम्बर 25 व आगे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 26 में से दर्शित किया है जबकि उक्त गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 25के मध्य से होता हुआ दक्षिणी पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 40 में प्रवेश करता है। राजस्व अमला द्वारा दर्शित उक्त गै.मु.रास्ता मौका स्थिति के अनुसार सही नहीं है जिसे दुरूस्त किये जाने व सही रूप से तरमीम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने अभी अपनी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 24 से 30 व खसरा नम्बर 918/23 वाकेरोही आडसर पुरोहितान के राजस्व भूनक्शा की नकले ऑनलाईन माध्यम से निकलावाई तो प्रार्थीगण को उक्त गै.मु. रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 25 के मध्य से होते हुए खसरा नम्बर 26 में प्रवेश करने की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने उक्त नक्शा को हल्का पटवारी को दिखाया तो पटवारीजी ने मौका देखकर बताया कि ऑनलाईन नक्शा में अंकित गै.मु. रास्ता गलत अंकित हो रखा है, खसरा नम्बर 25 में मौके पर चल रहे रास्ता से पूर्वी तरफ आपके खसरा नम्बर 25 में 7 बीघा भूमि ही होती है जबकि मौका पर ऐसा नहीं है। पुराने रिकार्ड के हिसाब से ऑनलाईन नक्शा में दर्शित गैरमुमकिन रास्ता सही नहीं है। इसलिए आपको अपने खेत खसरा नम्बर 25 में से गुजरने वाले गै.मु.रास्ता के लिए सही रूप से राजस्व अक्स में तरमीम करवानी पड़ेगी। प्रार्थीगण को हल्का पटवारी से उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से अपने खेत खसरा नम्बर 24 से 30 व खसरा नम्बर 918/23 वाकेरोही आडसर पुरोहितान के पुराने राजस्व नक्शा शीट की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरण आदि का दिनांक 28.03.2023 को प्राप्त की व ऑनलाईन भू-नक्शा से मिलान किया तो प्रार्थीगण को गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 22 से होते हुए प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 25 के मध्य से गुजरते हुए दक्षिणी पूर्वी कोने से होते हुए दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नम्बर 40 में प्रवेश करता है जिस पर वर्तमान में ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से दिनांक 29.03.2023 को प्रार्थीगण के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 25 में गलत रूप से तरमीम किए गये गै.मु. रास्ता को पुराने भूराजस्व नक्शा सीट के हिसाब से करने को निवदेन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि राजस्व रिकार्ड व भू-नक्शा में एकबार तरमीम हो जाने के बाद हम इस दुरूस्त नहीं कर सकते। आपको सक्षम अदालत का आदेश लाना होगा। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 25 में अंकित गैरमुमकिन रास्ता पुराने राजस्व सीट के हिसाब से सही नहीं होने से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 25 की स्थिति सही प्रकट नहीं हो रही है [illegible] गलत पड़ेगा व ऑनलाईन भू-नक्शा की गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण [illegible] नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपने संयुक्त [illegible] 25 का ऑनलाईन भू नक्शा दुरूस्त करवाने के कानूनन [illegible] यह राजस्व अक्स दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खेत खसरा नम्बर 25 त[illegible] 2.25 हैक्टेयर (मय गै.मु.रास्ता 0.0700 हैक्टेयर) वाकेराही आडसर पुरोहितान के भू-नक्शा को पुराने राजस्व नक्शा सीट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:06 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हिसाब से व मौका स्थिति के अनुसार यानि खसरा नम्बर 21 से होते हुए खसरा नम्बर 25 के मध्य में से गुजरते हुए दक्षिणी पूर्वी कोना से होता हुआ दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नम्बर 40 में प्रवेश करते हुए तरमीम किए जाने का आदेश अप्रार्थी को दिये जाने का निवदेन किया है।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। स्टेट की और से पैरोकारराज ने जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम आडसर पुरोहितान की अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 25 तादादी 2.25 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 26 तादादी 0.75 हैक्टेयर में से सडक गुजरती है जिसकी तरमीम गलत जगह अंकन होने पर तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त सडक के खसरा नंबर 24, 27 पैमाईस के दौरान दर्ज हुये थे पर उक्त खसरों की भूमि को गै.मु. सडक दर्ज कर प्रार्थियान की खातेदारी भूमि में ही दर्ज कर दिया गया। खसरा नंबर 24 तथा 27 जहां नक्शें में दर्शाया गया है मौके पर सडक वहा नहीं बनी होकर अन्य जगह बनी है। खसरा नंबर 25 तथा 26 में तरमीम शुद्धि किये जाने के बाद आगे के कई खसरे भी प्रभावित होते है। स्टेट द्वारा अन्य खसरों के प्रभावित होने की रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण संख्या 2 ता 19 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी पेश करनें पर स्टेट की आपति नहीं होने पर बतौर प्रार्थीगण पक्षकार संयोजित किया गया। प्रार्थीगण संख्या 2 ता 19 द्वारा अपनपे प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि खेत खसरा नंबर 24 तादादी 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25 तादादी 2.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26 तादादी 0.7500 हैक्टेयर, खसर नंबर 27 तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 तादादी 5.0900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 918/23 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ के खातेदार ने उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण महावीर, सांवरमल ने अपने खेत खसरा नंबर 25 के मध्य एवं खसरा नंबर 26 के कोने में से निकलने वाले कटाणी सडक मार्ग मौकानुसार दुरूस्त करवाना चाहा है। उक्त कटाणी रास्ता मौकानुसार खसरा नंबर 26 से निकलकर प्रार्थी शंकरलाल एवं उसके सहखातेदार के खेत खसरा नंबर 40 तादादी 6.8900 में प्रवेश करता है, उससे आगे प्रार्थी रणजीत व उसके सहखातेदार के खसरा नंबर 655/611 तादादी 0.3800 हैक्टेयर से गुजरता हुआ प्रार्थी राजेश व उसके सहखातेदार के खेत खसरा नंबर 654/611 तादादी 1.7100 हैक्टेयर से गुजरता हुआ प्रार्थी जीवराजसिंह के खेत खसरा नंबर 777/763 तादादी 0.1870 हैक्टेयर में प्रवेश कर प्रार्थी ताराचन्द व उसके सहखातेदार के खेत खसरा नंबर 765/41 तादादी 2.89 हैक्टेयर से निकलकर स्टेट हाईवे नंबर 6 पर मिलता है। प्रार्थीगण महावीर व सांवरमल ने उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार बनी हुई सडक/आम रास्ता की मौके की स्थिति के अनुसार ही तरमीम शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नक्शा अक्स में सडक का अंकन मौके की स्थिति के अनुसार न दर्शाकर भूलवश गलत जगह पर दर्शा रखा है, जबकि मौके पर शुरू से लेकर आज तक चले आ रहे आम रास्ता पर ही सडक का निर्माण करवाया गया है, मौके की स्थिति के अनुसार ही अगर नक्शें में तरमीम की जाती है तो प्रार्थिया महावीर व सांवरमल के अलावा हम प्रार्थीगण के भी खसरा भूमि में बनी हुई सडक को तरमीम किया जाता है तो हमें ऐतराज नहीं है। वर्तमान में जो सडक बनी हुई है, वह मौके की स्थिति के अनुसार सही बनी है । प्रार्थीगण महावीर व सांवरमल के अलावा हम प्रार्थीगण भी उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है, हम प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष वास्तविक व सही स्थिति बताना चाहतें है, अगर हम प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया जाता है तो माननीय न्यायालय को न्याय निर्णय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

काफी सुगमता होगी। वर्तमान में मौके की स्थिति के अनुसार बनी हुई, आम सड़क की तरमीम शुद्धि से हम प्रार्थीगण के खसरान में कोई परिवर्तन होता है तो हम प्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं होगा। स्टेट की ओर से पुनः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ के खातेदार महावीर पुत्र आदराम तथा सांवरमल पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी आडसर पुरोहितान में प्रार्थियान द्वारा चाही गई तरमीम शुद्धि में मौका एवं रिकार्ड की स्थिति में संलग्न खसरा नंबरान के रकबा में नजरी नक्शा अनुसार परिवर्तन होगा। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति प्रस्तुत करनें एव प्रार्थना पत्र में स्टेट को कोई आपति नहीं होने व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वर्तमान खेत खसरा नंबर 24 तादादी 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25 तादादी 2.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26 तादादी 0.7500 हैक्टेयर, खसर नंबर 27 तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29 तादादी 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 तादादी 5.0900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 918/23 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ से खेत खसरा नंबर 25 के मध्य एवं खसरा नंबर 26 के कोने में से निकलने वाले कटाणी सडक मार्ग मौकानुसार खसरा नंबर 26 से निकलकर खेत खसरा नंबर 40 तादादी 6.8900 में प्रवेश करता है, उससे आगे के खसरा नंबर 655/611 तादादी 0.3800 हैक्टेयर से गुजरता हुआ खेत खसरा नंबर 654/611 तादादी 1.7100 हैक्टेयर से गुजरता हुआ खेत खसरा नंबर 777/763 तादादी 0.1870 हैक्टेयर में प्रवेश कर खेत खसरा नंबर 765/41 तादादी 2.89 हैक्टेयर से निकलकर स्टेट हाईवे नंबर 6 पर मिलता है को वर्तमान मौका अनुसार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16.4.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:06 IST
Reason: SelfAttested